



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266965
CG-DL-E-16102025-266965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4555]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 4555]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4684(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 2365 (अ) दिनांक 23 मई 2022 द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के मौजूदा किमी 41.900 से किमी 93.000 (मेहगामा-हंसडीहा खंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3(जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के मौजूदा किलोमीटर 41+900 से किलोमीटर 93+000 (डिजाइन किमी 00+000 से किमी 51+825) तक एनएच-133 के मेहगामा-हंसडीहा खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 29.108 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 7.12 किमी (0.712 किमी की लंबाई [सारणी-4]) समतुल्य संरचना (लंबाई 60 मीटर से अधिक) लंबाई वाली के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 22.005 किमी [सारणी-3] की लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी-2		
शुल्क प्लाज का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
झारखंड के गोड्डा जिले में सुगाबथान गांव के पास एनएच-133 के किमी/चेनेज 36+555 से किमी/चेनेज 36+820 (योगिनी माता टोल प्लाजा) (डिजाइन चेनेज) पर	29.108 [बाईपास की लंबाई (लागत $\geq$ 10 करोड़ रूपए) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
झारखंड के गोड्डा जिले में सुगाबथान गांव के पास एनएच-133 के किमी/चेनेज 36+555 से किमी/चेनेज 36+820 (योगिनी माता टोल प्लाजा) (डिजाइन	एनएच-133 का पथरगामा बाईपास	डिजाइन किमी 04+300	डिजाइन किमी 07+660	3.360	74.67	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	एनएच-133 का गोड्डा बाईपास (बड़ा पुल लंबाई 0.096 मीटर + 0.288 मीटर = 0.384 मीटर को छोड़कर)	डिजाइन किमी 11+440	डिजाइन किमी 26+060	14.236	316.36	

चेनेज) पर	एनएच-133 का पोरैयाहाट बाईपास (बड़ा पुल लंबाई 0.096 मीटर को छोड़कर)	डिज़ाइन किमी 38+045	डिज़ाइन किमी 42+550	4.409	97.98	
कुल				22.005	489.010	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि मी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
झारखंड के गोड्डा जिले में सुगाबथान गांव के पास एनएच-133 के किमी/चेनेज 36+555 से किमी/चेनेज 36+820 (योगिनी माता टोल प्लाजा) (डिज़ाइन चेनेज) पर	0.712 [^]	7.120	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर का 100%.

[^]विवरण निम्न है: -

क्र.सं.	डिज़ाइन चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	03+090	03+250	बड़ा पुल	0.160
2	32+594	32+666	बड़ा पुल	0.072
3	15+052	15+148	बड़ा पुल	0.096
4	18+206	18+494	बड़ा पुल	0.288
5	40+712	40+808	बड़ा पुल	0.096
कुल				0.712

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात: -

सारणी - 5		
संदेय धन राशि	अनुज्ञात यात्राओं की संख्या	एकतरफा की अधिकतम
एक तरफ की यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	विधिमान्यता की अवधि
		संदाय के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक महीने
---	------	----------------------------

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी – 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007– 2008 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत ₹542.925 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओ प्रभाग-13032/2/2025-पीआईयू देवगढ़/ई-254896]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

S.O. 4684(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2365 (E), dated 23rd May, 2022, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Existing Km. 41.900 to Km. 93.000 (Mehgama-Hansdiha section) of National Highway number 133 in the state of Jharkhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 29.108 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.12 km (having length of 0.712 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 22.005 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Mehgama-Hansdiha section of NH-133 from existing kilometer 41+900 to kilometer 93+000 (Design km 00+000 to km 51+825) of National Highway number 133 in the State of Jharkhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 36+555 to Km/Ch. 36+820 (Yogini Mata Toll Plaza) (Design Chainage) of NH-133 near Sugabthan Village in Godda District of Jharkhand	29.108 [Excluding length of bypass (costing rupees ≥ 10 Cr.) and length of structures (>60 meter)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km/Ch. 36+555 to Km/Ch. 36+820 (Yogini Mata Toll Plaza) (Design Chainage) of NH-133 near Sugabthan Village in Godda District of Jharkhand	Pathargama Bypass of NH-133	Design Km 04+300	Design Km 07+660	3.360	74.67	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Godda Bypass of NH-133 (Excluding MJB length of 0.096m + 0.288m = 0.384m)	Design Km 11+440	Design Km 26+060	14.236	316.36	
	Poraiyahat Bypass of NH-133 (Excluding MJB length of 0.096m)	Design Km 38+045	Design Km 42+550	4.409	97.98	
Total				22.005	489.010	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 36+555 to Km/Ch. 36+820 (Yogini Mata Toll Plaza) (Design Chainage) of NH-133 near Sugabthan Village in Godda District of Jharkhand	0.712 [^]	7.120	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]Details are as under:-

S.No.	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	03+090	03+250	MJB	0.160
2	32+594	32+666	MJB	0.072
3	15+052	15+148	MJB	0.096
4	18+206	18+494	MJB	0.288
5	40+712	40+808	MJB	0.096
Total				0.712

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 350/- (Rupees Three Hundred and Fifty) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 542.925 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV-13032/2/2025-PIU Deogarh/E-254896]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.